

फर्द अहकाम

सुप्रीम कोर्ट

बनाम राजपाल

नाम न्यायालय: जयपुर कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

जयपुर जयपुर

केस संख्या

105/19

पुनः

159/19 जी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	18/7/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सचिव द्वारा कन्डोलेरा/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/22 पेश हुई।	
	26/8/22	आज दिनांक 26/8/22 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सचिव द्वारा आज कन्डोलेरा/कार्य बहिष्कार करने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/10/22 को पेश होगा।	
	21/10/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सचिव द्वारा कन्डोलेरा/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/11/22 पेश हुई।	
	27/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची आडुवा वकील प्राची का कर्षण लगाया गया है। उसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं। अतः वकील प्राची की कर्षण स्थिति में प्राची को जमानत पत्र काफ़ी हादरी रुकने पर भी खर्च उठाया जाता है पत्रावली के फल मुकाम तक नगल कर्षण।	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जयपुर जयपुर